दिनांक- 09.06.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 164/26

महोबा पुलिस

सर्किल चरखारी- थाना श्रीनगर

अंधविश्वास बना हत्या की वजह: महोबा पुलिस ने किया सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा, हत्यारोपी अभियुक्त आलाकत्ल के साथ गिरफ्तार-

- पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के कुशल निर्देशन में महोबा पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। थाना श्रीनगर क्षेत्र में मिले वृद्ध के शव के मामले का सफल अनावरण करते हुए पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल भी बरामद कर लिया है।

- ज्ञातव्य है कि दिनांक 26.05.2026 को थाना श्रीनगर क्षेत्रान्तर्गत कस्बा श्रीनगर स्थित दुर्जन साहू के कुएँ से रामप्रसाद पुत्र बगिया प्रजापति (उम्र लगभग 60 वर्ष) का शव बरामद हुआ था। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा तत्काल प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। मृतक की पत्नी द्वारा प्रस्तुत तहरीर में अज्ञात व्यक्ति द्वारा धारदार हथियार से हत्या कर शव को साक्ष्य छिपाने की नीयत से कुएँ में फेंके जाने की आशंका व्यक्त की गई थी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना श्रीनगर में मु0अ0सं0 92/2026 धारा 103(1)/238 बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

- घटना के सफल अनावरण हेतु अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह एवं क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में जनपदीय एसओजी, सर्विलांस एवं थाना श्रीनगर पुलिस की संयुक्त टीम गठित की गई। टीम द्वारा वैज्ञानिक साक्ष्यों का गहन विश्लेषण, तकनीकी एवं मानवीय सूचनाओं का संकलन तथा व्यापक जांच-पड़ताल की गई।

- इसी क्रम में दिनांक 09.06.2026 को मुखबिर की सटीक सूचना पर पुलिस टीम ने घटना का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त लखन साहू पुत्र राधाचरण, उम्र करीब 35 वर्ष निवासी भैरोगंज थाना श्रीनगर जनपद महोबा को बिलरही तिराहा कस्बा श्रीनगर से गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्त की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त बांका भी थानाक्षेत्र अन्तर्गत दाऊपुरा तालाब से बरामद किया गया।

पूछताछ का विवरण-

- अभियुक्त ने बताया कि उसके भाई की मृत्यु लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व हो गई थी। मृतक रामप्रसाद झाड़-फूंक का कार्य करता था, जिसके कारण अभियुक्त उसके भाई की मृत्यु सहित अपने जीवन की अन्य परेशानियों के लिए भी मृतक को जिम्मेदार मानता था। अंधविश्वास और भ्रम के वशीभूत होकर उसने यह विश्वास कर लिया था कि यदि वह रामप्रसाद की हत्या नहीं करेगा तो स्वयं उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसी मानसिकता के चलते उसने बाजार से बांका खरीदकर रामप्रसाद की हत्या कर दी और शव को कुएँ में फेंक दिया।

गिरफ्तार अभियुक्त –

लखन साहू पुत्र राधाचरण, उम्र करीब 35 वर्ष निवासी भैरोगंज थाना श्रीनगर जनपद महोबा

बरामदगी-

- हत्या की घटना में प्रयुक्त 01 अदद धारदार बांका

गिरफ्तार करने वाली संयुक्त पुलिस टीम-

जनपदीय एसओजी एवं सर्विलांस टीम-

1. उ0नि0 श्री शिवप्रताप सिंह
2. उ0नि0 श्री विवेक यादव

3. कं. ऑ. अभिषेक वर्मा 4. कां. दीपक वर्मा

5. कां. रंजीत सिंह 6. कां. निर्भय सिंह 7. कां. आशीष बघेल

8.कां.सत्यम सिंह जादौन 9. कां. कुलदीय यादव 10.कां. नीलेश 11. कां. अभिषेक दुबे

थाना श्रीनगर पुलिस टीम- 1. थानाध्यक्ष श्रीनगर श्री जयचन्द्र सिंह 2.उ0नि0 दिनेश सिंह 3.उ0नि0 कन्हैयालाल पटेल

4. रि0का0 इन्दल गौतम 5.रि0का0 आशिफ खान

दिनांक- 09.06.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 165/26

महोबा पुलिस

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में वर्चुअल जनसुनवाई का आयोजन किया गया, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांक 09.06.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा से गूगल मीट के माध्यम से वर्चुअल जनसुनवाई आयोजित की गई। इस पहल के अंतर्गत जनपद के समस्त पुलिस अधिकारी एवं थाना प्रभारी वर्चुअल माध्यम से सीधे जुड़कर जनसमस्याओं के समाधान में सहभागी बने।

जनसुनवाई के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आये शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुना गया तथा संबंधित थाना प्रभारियों से सीधे संवाद स्थापित कर प्रत्येक प्रकरण के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण हेतु स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी शिकायतों का निस्तारण पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाए, जिससे आमजन को शीघ्र न्याय एवं राहत प्राप्त हो सके।

साथ ही उन्होंने जनसमस्याओं के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रत्येक स्तर पर प्रभावी एवं उत्तरदायी पुलिसिंग सुनिश्चित करने पर बल दिया।

महोबा पुलिस- समस्याओं का समाधान, पारदर्शिता के साथ

दिनांक- 09.06.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 166/26

महोबा पुलिस

सर्किल नगर- थाना कबरई

थाना कबरई पुलिस टीम ने अवैध देशी शराब सहित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के कुशल निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती बन्दना सिंह के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरुण कुमार सिंह के नेतृत्व में जनपद में अपराध एवं अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कबरई पुलिस को एक सफलता प्राप्त हुई।

थानाध्यक्ष श्री सत्यवेन्द्र सिंह के निर्देशन में गठित पुलिस टीम द्वारा दिनांक 09.06.2026 को उ0नि0 आकाश मौर्य मय हमराहीगण द्वारा एक अभियुक्त बृजराज पुत्र चन्दन सिंह, उम्र करीब 45 वर्ष, निवासी ग्राम पिडारी थाना कबरई जनपद महोबा को चन्द्रावल नदी पुल, बह्द ग्राम सुरहा थाना कबरई से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से एक झोले में 19 अदद क्वार्टर अवैध देशी शराब (ब्राण्ड “झूम”) बरामद की गई।

उक्त बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना कबरई पर मु0अ0सं0 126/2026 धारा 60 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :

1. उ0नि0 आकाश मौर्य
2. हे0का0 भूप सिंह
3. रि0आ0 आशीष
4. रि0आ0 अमन कुमार मिश्रा

गिरफ्तार अभियुक्त :

बृजराज पुत्र चन्दन सिंह, उम्र करीब 45 वर्ष निवासी – ग्राम पिडारी, थाना कबरई, जनपद महोबा

बरामदगी का विवरण :

एक झोले में 19 अदद क्वार्टर अवैध देशी शराब (ब्राण्ड “झूम”)

दिनांक- 09.06.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 167/26

महोबा पुलिस

सर्किल नगर- थाना कबरई

थाना कबरई पुलिस टीम ने अवैध तमंचा व कारतूस सहित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के कुशल निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरुण कुमार सिंह के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कबरई पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

थानाध्यक्ष श्री सत्यवेन्द्र सिंह भदौरिया के निर्देशन में गठित पुलिस टीम द्वारा दिनांक 09.06.2026 को उ0नि0 आकाश मौर्या मय हमराही कर्मचारीगण के साथ क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग के दौरान 01 नफर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त प्रेमबाबू पुत्र रामाधार, उम्र करीब 32 वर्ष, निवासी सिंघनपुर बघारी थाना कबरई जनपद महोबा को ग्राम सिंघनपुर थाना कबरई से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त के कब्जे से एक अदद देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद किया गया। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना कबरई पर मु0अ0सं0 127/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुये मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 आकाश मौर्या 2. हे0का0 भूप सिंह 3. रि0आ0 अतुल कुमार सिंह

गिरफ्तार अभियुक्त-

प्रेमबाबू पुत्र रामाधार, निवासी सिंघनपुर बघारी थाना कबरई जनपद महोबा

बरामदगी-

- एक अदद देशी तमंचा 315 बोर
- एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर

दिनांक- 09.06.2026
प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 168/26

महोबा पुलिस

सर्किल चरखारी- थाना श्रीनगर

थाना श्रीनगर पुलिस टीम ने वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक जनपद महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में वारण्टी/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह के पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री दीपक दुबे के कुशल नेतृत्व में थाना श्रीनगर पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

थानाध्यक्ष थाना श्रीनगर श्री जयचन्द्र सिंह द्वारा गठित टीम उ0नि0 कन्हैयालाल पटेल व रि0का0 अंकित चौबे द्वारा एक नफर वारण्टी अभियुक्त लक्ष्मन उर्फ बूठा पुत्र नन्दी कुशवाहा, उम्र करीब 28 वर्ष, निवासी ग्राम इमलिया जनपद महोबा को सम्बन्धित के0नं0 3550/22, अ0सं0 14/22, धारा 60 आबकारी अधिनियम, थाना श्रीनगर जनपद महोबा के अंतर्गत ग्राम इमलिया से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए उसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तः

लक्ष्मन उर्फ बूठा पुत्र नन्दी कुशवाहा, उम्र करीब 28 वर्ष निवासी: ग्राम इमलिया, जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली टीमः

उ0नि0 कन्हैयालाल पटेल, थाना श्रीनगर जनपद महोबा
रि0का0 अंकित चौबे, थाना श्रीनगर जनपद महोबा

अपराध विवरणः

के0नं0: 3550/22 अ0सं0: 14/22 धारा: 60 आबकारी अधिनियम

महोबा पुलिस

दिनांक- 09.06.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 169/26

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा पेट्रोल पम्प व गैस एजेंसी संचालकों के साथ सुरक्षा संबंधी गोष्ठी, दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

आज दिनांक 09.06.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस लाइन स्थित सभाकक्ष जनपद के समस्त पेट्रोल पम्प संचालकों एवं गैस एजेंसी संचालकों के साथ एक महत्वपूर्ण गोष्ठी आयोजित की गई।

गोष्ठी के दौरान पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा पेट्रोल पम्प एवं गैस एजेंसियों की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से विस्तृत चर्चा की गई। उन्होंने सभी संचालकों से उनकी समस्याओं एवं सुझावों के बारे में जानकारी प्राप्त की तथा सुरक्षा संबंधी विभिन्न पहलुओं पर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

इस दौरान उन्होंने निर्देशित किया कि सभी पेट्रोल पम्प एवं गैस एजेंसियों पर उच्च गुणवत्ता के सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से स्थापित किए जाएं तथा उनका नियमित रूप से संचालन एवं मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। रात्रि के समय पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था रखी जाए तथा संदिग्ध व्यक्तियों एवं गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखी जाए।

इसके अतिरिक्त कैश के सुरक्षित प्रबंधन, कर्मचारियों के सत्यापन, आपातकालीन नंबरों की उपलब्धता एवं किसी भी संदिग्ध घटना की सूचना तत्काल स्थानीय पुलिस को देने के संबंध में भी विस्तार से निर्देशित किया गया।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा यह भी कहा गया कि पुलिस एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर अपराधों की रोकथाम में प्रभावी सफलता प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने सभी संचालकों को आश्वस्त किया कि महोबा पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर है तथा किसी भी समस्या के समाधान हेतु पुलिस प्रशासन पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा।

गोष्ठी के अंत में उपस्थित संचालकों द्वारा अपने-अपने सुझाव प्रस्तुत किए गए, जिन पर शीघ्र कार्यवाही का आश्वासन दिया गया।